"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2007-2009."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 42] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 16 अक्टूबर 2009—आश्विन 24, शक 1931

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 अक्टूबर 2009

क्रमांक ई-01-02/2009/एक/2.— श्री जवाहर श्रीवास्तव, भा. प्र. से. (1988) सचिव, सामान्य प्रशासन तथा संसदीय कार्य विभाग को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. जॉय उम्मेन, मुख्य सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009.

रायपुर, दिनांक 16 सितम्बर 2009

क्रमांक1174/866/2009/1-8/स्था.— श्री ए. के. टोप्पो, अतिरिक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 22-9-2009 से 25-9-2009 तक 04 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुये दिनांक 18, 19, 20, 21 तथा 26, 27 एवं 28-9-2009 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. श्री ए. के. टोप्पो के अवकाश अवधि में इनका कार्य श्री के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग अपने कार्य के साथ-साथ संपादित करेंगे.

3. अवकाश से लौटने पर श्री ए. के. टोप्पो को अतिरिक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

4. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

5. प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. के. टोप्पो अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 30 सितम्बर 2009

क्रमांक1246/883/2009/1-8/स्था.— श्री एन. के. साकी, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, छत्तीसगढ़ मंत्रालय को दिनांक 8-10-2009 से 21-10-2009 तक 14 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एन. के. साकी को विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, छत्तीसगढ़ मंत्रालय के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री एन. के. साकी अवकाश पर नहीं जाते तो विशेष कर्तव्यवस्थ अधिकारी, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, छत्तीसगढ़ मंत्रालय के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 30 सितम्बर 2009

क्रमांक1248/882/2009/1-8/स्था.— श्रीमती रेजीना टोप्पो, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, ग्रामोद्योग विभाग को दिनांक 12-10-2009 से 22-10-2009 तक 11 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती रेजीना टोप्पो को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, ग्रामोद्योग विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती रेजीना टोप्पो अवकाश पर नहीं जातीं तो अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, ग्रामोद्योग विभाग के पद पर कार्य करती रहतीं.

रायपुर, दिनांक 1 अक्टूबर 2009

क्रमांक एफ 4-6/2006/1/एक.— राज्य शासन एतद्द्वारा माननीय न्यायमूर्ति श्री सतीश अग्निहोत्री, न्यायाधीश, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर को दिनांक 24 से 28 अगस्त, 2009 तक (05 दिन) का पूर्ण वेतन भत्तों सहित लघुकृत अवकाश तथा अवकाश पूर्व दिनांक 22 एवं 23 अगस्त, 2009 एवं अवकाश पश्चात् दिनांक 29 एवं 30 अगस्त, 2009 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ लेने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार सिंह, अवर सचिव.

रायपुर, दिनांक 5 अक्टूबर 2009

क्रमांक ई-7/1/2003/1/2.— श्रीमती निधि छिब्बर, भा. प्र. से., आयुक्त, भू-अभिलेख, छत्तीसगढ़, रायपुर को दिनांक 12-10-2009 से 16-10-2009 तक (05 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 10, 11, 17, 18 एवं 19 अक्टूबर, 2009 के शासकीय/स्थानीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती छिब्बर आगामी आदेश तक आयुक्त, भू-अभिलेख, छत्तीसगढ़, रायपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगी.

3. अवकाश काल में श्रीमती छिब्बर को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती छिब्बर अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

5. श्रीमती छिब्बर के उक्त अवकाश अवधि में श्री सी. एस. डेहरे, अपर संचालक, भू-अभिलेख, छ. ग. रायपुर अपने वर्तमान कार्यों के साथ-साथ आयुक्त, भू-अभिलेख, छत्तीसगढ़, रायपुर का चालू कार्य भी सम्पादित करेंगे.

रायपुर, दिनांक 5 अक्टूबर 2009

क्रमांक ई-7/8/2003/1/2.— श्रीमती रेणु जी. पिल्ले, भा. प्र. से., सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग को दिनांक 03-10-2009 से 09-10-2009 तक (07 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 02, 10 एवं 11 अक्टूबर, 2009 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती पिल्ले, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगी.

3. अवकाश काल में श्रीमती पिल्ले को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती पिल्ले अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

रायपुर, दिनांक 5 अक्टूबर 2009

क्रमांक ई-7/10/2005/1/2.— श्री अजयपाल सिंह, भा. प्र. से., आयुक्त, स्थानीय निधि संपरीक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर को दिनांक 17-08-2009 से 22-08-2009 तक (06 दिवस) का अर्जित अवकाश (कार्योत्तर) स्वीकृत किया जाता हैं. साथ ही दिनांक 14, 15, 16 एवं 23 अगस्त, 2009 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री सिंह आगामी आदेश तक आयुक्त, स्थानीय निधि संपरीक्षा, छत्तीसगढ़ रायपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री सिंह को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकुन्द गजभिये, अवर सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 सितम्बर 2009

क्रमांक/एफ 1/31/दो गृह/भापुसे/2007.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री माइनथुंगो तुंगोए, भापुसे, एसडीओपी, कोंडागांव, बस्तर को अत्यावश्यक व्यक्तिगत कार्य से नागालैंड जाने हेतु दिनांक 01-09-2009 से दिनांक 20-09-2009 तक कुल 20 दिवस अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए दिनांक 21 सितंबर 2009 के शासकीय विज्ञप्त अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान करता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री माइथुंगो तुंगोए, भापुसे, एसडीओपी, कोंडागांव, बस्तर के पद पर पदस्थ होंगे.

3. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री माइथुंगो तुंगोए, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 25 सितम्बर 2009

क्रमांक/एफ 1/21/भापुसे/2001—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री आर. के. विज, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, योजना-प्रबंध, पुलिस मुख्यालय, रायपुर छ. ग. को सपरिवार खंड वर्ष 2008-09 के अंतर्गत गृह नगर रोहतक (हरियाणा) जाने हेतु दिनांक 29, 30-09-2009 एवं 01, 03-10-2009 को कुल 04 दिवस का आकस्मिक अवकाश तथा दिनांक 27, 28-09-2009 एवं 02-10-2009 के शासकीय विज्ञप्त अवकाश सहित गृह नगर एल.टी.सी. की स्वीकृति प्रदान करता है.

2. श्री आर. के. विज, भापुसे को उक्त अवकाश अवधि में वही वेतन एवं भत्ते देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर प्रस्थान करने के पूर्व प्राप्त हो रहे थे.

3. अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. विज, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, योजना-प्रबंध, पुलिस मुख्यालय, रायपुर छ. ग. के पद पर पदस्थ होंगे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. के. विज, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, योजना-प्रबंध, पुलिस मुख्यालय, रायपुर छ. ग. अवकाश पर नहीं जाते तो कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 1 अक्टूबर 2009

क्रमांक/एफ 1/37/दो गृह/भापुसे/2001—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री एम. डब्ल्यू. अंसारी, भापुसे, महानिरीक्षक, जेल को दिनांक 08-10-2009 से 11-10-2009 तक मोतीलाल नेहरू पुलिस स्टेडियम, भोपाल, मध्यप्रदेश में आयोजित 54वीं राष्ट्रीय सीनियर पुरुष एवं 12वीं महिला कुश्ती प्रतियोगिता में सदस्य के रूप में भाग लेने हेतु दिनांक 07-10-2009 से 13-10-2009 तक कुल 07 दिवस का विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एम. डब्ल्यू. अंसारी, भापुसे, महानिरीक्षक जेल, छ. ग. के पद पर पदस्थ होंगे.

3. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम. डब्ल्यू. अंसारी, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एल. लिखाटे, अवर सचिव.

ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 सितम्बर 2009

क्रमांक 5096/422/2009/13/1.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री देवाशीष दास, निदेशक, संयुक्त उपक्रम कंपनी क्रेडा-एचपीसीएल बायोफ्यूल लिमिटेड तथा आई ओ सी एल-क्रेडा बायोफ्यूल लिमिटेड का ऊर्जा विभाग से अन्यत्र स्थानान्तरण होने के फलस्वरूप उनके स्थान पर श्री उमेश अग्रवाल, संयुक्त सचिव, ऊर्जा विभाग को संयुक्त उपक्रम कंपनी में निदेशक के पद पर नामित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमन सिंह, विशेष सचिव.

रायपुर, दिनांक 25 सितम्बर 2009

क्रमांक एफ 1-8/2007/13/1.—राज्य शासन एतद्द्वारा ऊर्जा विभाग के मुख्य विद्युत निरीक्षकालय के अधीन कार्यरत् निम्नलिखित उप अभियंता (वि. सु.) को सहायक अभियंता (वि. सु.) एवं सहायक विद्युत निरीक्षक के पद पर पुनरीक्षित वेतनमान रुपये 15,600-39, 100/-+ ग्रेड वेतन रुपये 5400/- में विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 24-08-2009 में की गई अनुशंसा के आधार पर पदोन्नत किया जाकर उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है :—

क्रमांक	पदोन्नत अधिकारी का नाम एवं पदनाम	नवीन पदस्थापना
1.	श्री एम. एल. कौशिक, सहायक अभियंता (वि. सु.) एवं सहायक विद्युत निरीक्षक.	कार्यालय-अधीक्षण अभियंता (वि. सु.) एवं मुख्य विद्युत निरीक्षक, मुख्यालय, रायपुर.
2.	श्री टी. एन. शुक्ला, सहायक अभियंता (वि. सु.) एवं सहायक विद्युत निरीक्षक.	कार्यालय-सहायक अभियंता (वि. सु.) एवं सहायक विद्युत निरीक्षक, उपसंभाग-बिलासपुर.
3.	श्री एम. बी. गोस्वामी, सहायक अभियंता (वि. सु.) एवं सहायक विद्युत निरीक्षक.	कार्यालय-सहायक अभियंता (वि. सु.) एवं सहायक विद्युत निरीक्षक, उपसंभाग-अंबिकापुर.

2. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पदों पर पदोन्नति के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षण संबंधी नियमों/आदेशों का पालन किया गया है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार अग्रवाल, संयुक्त सचिव.

तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 अक्टूबर 2009

संशोधित आदेश

क्रमांक : एफ 1-51/2008/42-पार्ट.—विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 01 जून, 2009 को राज्य शासन द्वारा डॉ. भगवंत सिंह, की सेवायें प्रतिनियुक्ति पर लेते हुए तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई का कुल सचिव नियुक्त किया गया था उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए डॉ. भगवंत सिंह को विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 17 सहपठित 18 (2) के तहत छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई का कुल सचिव नियुक्त किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. डी. कुन्दानी, अवर सचिव.

वन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 सितम्बर 2009

क्रमांक एफ 8-21/2007/10-2.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 30-05-2008 जो वन्यप्राणी (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2006 (केन्द्रीय अधिनियम क्रमांक 39 सन् 2006) की धारा 38 (यू) के तहत् बाघ सह प्रजातियों और वैसे ही पशुओं के समन्वय, मॉनिटरिंग, संरक्षा और संरक्षण को सुनिश्चित करने हेतु गठित संचालन, समिति से संबंधित है. उक्त समिति में आंशिक संशोधन करते हुये समिति के सदस्य क्रमांक 12 श्री अघन सिंह ठाकुर विधायक, कांकेर के स्थान पर वर्तमान विधायक, कांकेर श्रीमती सुमित्रा मर्सकोले को सदस्य नामांकित किया जाता है.

No. F 8-21/2007/10-2.—In reference to the even numbered order dated 30-05-2008 which is in the exercise of powers conferred by section 38 (U) of the wildlife (Protection) Amendment Act, 2006 (Central Act No. 39 of 2006), in order to ensure co-ordination, Monitoring, protection of Tiger, Co-predators and prey animals. The State Government hereby nominates Smt. Sumitra Marskole Member of Legislative Assembly as member of committee in place of Shri Aghan Singh Thakur Member at serial Number 12.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कौशलेन्द्र सिंह, सचिव.

खनिज साधन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 अक्टूबर 2009

क्रमांक एफ 7-7/2004/12.—खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का सं. 67) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 1996 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम-29 की अनुसूची तीन में उल्लेखित निम्नानुसार दरें स्थापित किया जाए :—

2. ये संशोधित दरें तारीख 01 नवम्बर 2009 से लागू होंगी.

अनुसूची-तीन
(देखिए नियम 29)

क्र. (1)	खनिज (2)	रायल्टी की दर (3)
1.	आकारीय पत्थर ग्रेनाइट, डोलेराइट और अग्नेय तथा परिवर्तित चट्टानें जिनका उपयोग काटकर और तराशकर विशिष्ट आकार के ब्लास्क, स्लेब्स, टाइल्स बनाने के लिये किया जाता है.	
	(क) काला रंग	1000/- प्रति घ.मी.
	(ख) अन्य रंग	500/- प्रति घ.मी.
2.	संगमरमर जिसका उपयोग काटकर और तराशकर विशिष्ट आकार के ब्लास्क, स्लेब्स, टाइल्स बनाने के लिए किया जाता है.	300/- प्रति घ.मी.
3.	अन्य प्रयोजन के लिए संगमरमर पत्थर	200/- प्रति घ.मी.
4.	फ्लेग स्टोन प्राकृतिक परतदार पत्थर जिसका उपयोग फर्श छत आदि के लिए किया जाता है.	103/- प्रति घ.मी.
5.	साधारण रेत, बजरी	20/- प्रति घ.मी.
6.	मुरूम	20/- प्रति घ.मी.
7.	पत्थर	
	(क) बोल्डर	
	(ख) गिट्टी, रोड मेटल	103/- प्रति घ.मी.
	(ग) परिष्कृत पत्थर, खंडा, ढोका	
8.	ईंट, बर्तन, कवेलू आदि बनाने के लिए साधारण मिट्टी	20/- प्रति घ.मी.
9.	अन्य गौण खनिज	40/- प्रति घ. मी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. मिश्रा, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 7 अक्टूबर 2009

क्रमांक एफ 7-7/2004/12.--भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 7-7/2004/12, दिनांक 07 अक्टूबर, 2009 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसर,
व्ही. के. मिश्रा, उप-सचिव.

Raipur, the 7th October 2009

No. F 7-7/2004/12.—In exercise of the powers conferred by section 15 of Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (No. 67 of 1957) the State Government hereby makes the following amendments in Chhattisgarh Minor Mineral Rule, 1996, namely :—

AMENDMENT

In the said Rules,—

1. In Schedule III, of Rule 29 the following rates of royalties shall be substituted.

2. It shall come in to force from the date 01st November 2009.

SCHEDULE-III
(See Rule 29)

RATES OF ROYALTY

S. No. (1)	Mineral (2)	Rates (3)
1.	Dimensional Stone-Granite, dolerite, and other igneous and metamorphic rocks which are used for cutting and polishing purpose for making blocks, slabs, tiles of specific dimension :—	
	(a) Black colour	1000/- per cu.mt.
	(b) Other colour	500/- per cu.mt.
2.	Marble which is used for cutting and polishing purpose for making blocks, slabs, tiles of specific dimension.	300/- per cu.mt.
3.	Marble stone for other purpose	200/- per cu.mt.
4.	Flagstone Natural sedimentary rock which is used for flooring	103/- per cu.mt.
5.	Ordinary Sand, Bajri	20/- per cu. mt.
6.	Murrum	20/- per cu. mt.
7.	Stone :— (a) Boulder (b) Gitti, Roadmetal (c) Dressed stone, Khanda, Dhoka	103/- per cu. mt.
8.	Soil-For making bricks and tiles	20/- per cu.mt.
9.	Other minor minerals	40/- per cu.mt.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
V. K. MISHRA, Deputy Secretary.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कांकेर, दिनांक 24 सितम्बर 2009

क्रमांक/195/भू-अर्जन/2009.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	अन्तागढ़	अन्तागढ़	0.20	तहसीलदार अन्तागढ़	नक्सल पीड़ित परिवारों के पुनर्वास हेतु आवास गृह निर्माण बाबत्.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अविनाश चम्पावत, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जशपुर, दिनांक 1 अक्टूबर 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 01/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	पत्थलगांव	पतराटोली प. ह. नं. 19	1.819	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धरमजयगढ़.	खमगढ़ा जलाशय योजना की स्पील चैनल का अनिवार्य भू-अर्जन के लिए.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व/भू-अर्जन अधिकारी, पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 1 अक्टूबर 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 02/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	पत्थलगांव	पतराटोली प. ह. नं. 19	0.555	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धरमजयगढ़.	खमगढ़ा जलाशय योजना की आर बी सी मुख्य नहर का पूरक भू-अर्जन प्रकरण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व/भू-अर्जन अधिकारी, पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 1 अक्टूबर 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 05/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	पत्थलगांव	सूरजगढ़ प. ह. नं. 12	11.574	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धरमजयगढ़.	घरजियाबथान जलाशय योजना आर बी सी मुख्य नहर का अनिवार्य भू-अर्जन प्रकरण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व/भू-अर्जन अधिकारी, पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. जायसवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 14 सितम्बर 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 05/अ-82/2000-2001.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कटघोरा	गांगपुर	0.121	कार्यपालन अभियंता जल संसाधन विभाग.	छुरी जलाशय निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 9 सितम्बर 2009

क्रमांक 13 क/भू-अर्जन/2009.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	अकलतरा	कोटमीसोनार प. ह. नं. 04/08	3.380	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, जांजगीर, मुख्यालय चांपा, जिला जांजगीर-चांपा (छ. ग.)	कर्रानाला जलाशय निर्माण के अन्तर्गत बायीं तट नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 9 सितम्बर 2009

क्रमांक 14 क/भू-अर्जन/2009.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	अकलतरा	अकलतरी प. ह. नं. 02/07	2.762	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, जांजगीर, मुख्यालय चांपा, जिला जांजगीर-चांपा (छ. ग.)	कर्रानाला जलाशय निर्माण के अन्तर्गत दायीं तट नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 9 सितम्बर 2009

क्रमांक 15 क/भू-अर्जन/2009.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	अकलतरा	पीपरसत्ती प. ह. नं. 02/07	2.945	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, जांजगीर, मुख्यालय चांपा, जिला जांजगीर-चांपा (छ. ग.)	कर्रानाला जलाशय निर्माण के अन्तर्गत दायीं तट नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. सी. महावर, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरिया, दिनांक 17 सितम्बर 2009

रा. प्र. क्र. 06/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरिया	बैकुन्ठपुर	मोदीपारा	1.00	कार्यपालन अभियन्ता, जल संसाधन संभाग बैकुंठपुर, जिला कोरिया.	सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने बाबत्.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आलोक अवस्थी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 30 सितम्बर 2009

क्रमांक क/भू-अर्जन/2-अ/82 वर्ष 2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	भाटापारा	खैरा प. ह. नं. 19/37	11.208	कार्यपालन अभियंता, म. ज. प. डिसनेट संभाग क्र. 3, तिल्दा (तुलसी)	दायीं छोर वितरक नहर एवं लच्छनपुर उपनहर निर्माण हेतु.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गर्ग, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

अनिवार्य भू-अर्जन प्रकरण

ग्राम खैरा, प. ह. नं. 19/37, रा.नि.मं. निपनिया, तहसील भाटापारा, जिला रायपुर

"राईट एवं टेल डिस्ट्रीब्यूटरी" "दायीं छोर वितरक नहर एवं लच्छनपुर उपनहर"

क्र.	भूमिस्वामी का नाम एवं पिता का नाम, जाति	खसरा नंबर	कुल रकबा हेक्टेयर में	अर्जित रकबा	भूमि का प्रकार			कैफियत
					धनहा रकबा	भर्री रकबा	भांठा रकबा	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	भूखनचंद पिता सरहा कुर्मी	7/1	0.463	0.061		0.061		
		50/1	0.141	0.049		0.049		
		1110/5	0.711	0.069	0.069			
2.	परसराम पिता तुलाराम कुर्मी	7/2	0.463	0.069		0.069		
		50/2	0.142	0.040		0.040		
3.	नागन्द्रगीर कमलाबाई बिरीज पिता देवगीर.	9	1.145	0.194		0.194		
		16	0.910	0.061		0.061		
4.	नारायण गीर पिता प्रतापगीर	10/2	0.155	0.093		0.093		
		10/6	0.111	0.004		0.004		
5.	सुखनंदनगीर पिता प्रतापगीर	10/3	0.072	0.061		0.061		
6.	पूरनगीर पिता छोटूगीर	10/7	0.164	0.012		0.012		
7.	रघुनंदनगीर पिता प्रतापगीर	10/5	0.202	0.020		0.020		
8.	घनाराम, मनाराम, श्यामलाल, मनहरण पिता जगन्नाथ कुर्मी.	10/8	0.151	0.109		0.109		
		33/1	0.086	0.012		0.012		
		242/1	0.166	0.085		0.085		
		209/2	2.122	0.099		0.099		
9.	रामनाथ पिता गंगाराम कुर्मी	11/2	0.109	0.105		0.105		
		33/2	0.086	0.008		0.008		
		204/1	0.130	0.024		0.024		
		1178	0.450	0.105	0.105			
		1184/3	0.324	0.085	0.085			
		1184/4	0.182	0.093	0.093			
10.	बिसौहा पिता चंदूलाल वगैरह कुर्मी	11/3	0.235	0.069		0.069		
11.	महेषप्रसाद पिता अयोध्या प्रसाद बनिया	12	0.299	0.065		0.065		
		32	0.279	0.065		0.065		
		40	0.833	0.364		0.364		
		60	2.363	0.652		0.652		
		71	0.421	0.089		0.089		
		87/1	0.113	0.053		0.053		
		241	1.295	0.466		0.466		
		250	0.364	0.008		0.008		
		254	0.947	0.384		0.384		
		1148/1	1.326	0.154	0.154			
12.	भोजराम पिता दुलरुवा गोंड वगैरह	14	0.158	0.081		0.081		
13.	बालकगीर पिता षिवचरण गीर	15/1	0.667	0.024		0.024		
14.	बलरामगीर पिता षिवचरणगीर	15/2	0.607	0.028		0.028		
		37	0.247	0.036		0.036		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
15.	जेठू पिता मुंषी गोंड	30/2	0.202	0.125		0.125		
16.	मंगतराम पिता गोकुल गोंड	242/2	0.040	0.040		0.040		
17.	दिलहरण पिता झाड़ू वगैरह	35/1	0.032	0.032		0.032		
18.	आनंदा पिता घसिया तेली	36/1	0.243	0.150		0.150		
		47/1	0.222	0.020		0.020		
19.	आनंदू पिता घसिया तेली	36/2	0.243	0.162		0.162		
20.	सूखीराम पिता घसिया तेली	36/3	0.242	0.061		0.061		
21.	प्रेमलाल पिता घसिया तेली	36/4	0.243	0.174		0.174		
22.	जीतराम तिरीथराम पिता अंजोरी वगैरह गोंड.	38/1	0.136	0.016		0.016		
		51/1	0.134	0.028		0.028		
23.	रामवती पिता बिरबल गोंड	51/2	0.133	0.020		0.020		
24.	तुलसीदास सोनादास हिरादास अनूपदास वगैरह.	41/1	0.432	0.170		0.170		
		1108/1	0.117	0.069	0.069			
25.	लहुरसिंग, जहुरसिंग, मोहन, जोहन पिता जहरसिंग मरार.	45	0.405	0.069		0.069		
26.	छेदीन पिता घासीराम गोंड	46	0.405	0.113		0.113		
27.	मोहन कंष संतराम बंष पिता लतखोर पुनमति बेवा लतखोर तेली.	47/3	0.243	0.101		0.101		
28.	बुधराम, सुखराम पिता फुलसिंग गोंड	48	1.011	0.121		0.121		
29.	छेदीलाल पिता मनोहर गोंड	52	0.914	0.158	0.158			
30.	डदेराम, बुधराम, सुधराम पिता जगतराम तेली.	54	0.730	0.121	0.121			
31.	उर्मीला पिता धनीराम गोंड	55	0.344	0.020	0.020			
		59/1	0.659	0.121		0.121		
32.	मनीराम पिता शोभाराम गोंड	199	0.421	0.045		0.045		
33.	फिरतू बिरझू पिता सोनू तेली	56	0.368	0.093		0.093		
34.	बरातू पिता झग्गर	61	1.615	0.097		0.097		
		117	2.105	0.008		0.008		
35.	आषाराम पिता पंचराम गोंड	72	0.352	0.004		0.004		
36.	नाबा, षिव पिता गोविंद वगैरह	86	0.938	0.012		0.012		
37.	पीलाराम शोभित पिता बोधीराम वगैरह गोंड	88	1.404	0.004		0.004		
38.	अंजोरसिंग, प्रेमसिंग, रामसिंग पिता गोपाल गोंड.	89	0.752	0.219		0.219		
39.	समेलाल पिता खेदू वगैरह	90	0.324	0.004		0.004		
40.	धनीराम पिता रामनाथ वगैरह	116	0.844	0.020		0.020		
		1108/2	0.870	0.223	0.223			
41.	नरोत्तम पिता मनीराम मरार	186/1	0.080	0.004	0.004			
42.	तीजराम पिता षिवसिंग वगैरह गोंड	194/1	0.122	0.097		0.097		
		214	0.910	0.020		0.020		
		246	0.247	0.040		0.040		
43.	बिसम्भर रामाधार रामदास पिता कुंवर मरार	197	0.644	0.121	0.121			
44.	जंतराम पिता सियाराम गोंड	198/2	0.170	0.057		0.057		
45.	दषमत पिता नीरसिंग वगैरह	1174/1	2.407	0.162	0.162			
46.	गोविंद पिता बोनाध्य सिंधी	200	0.397	0.085		0.085		
47.	नंदराम पिता अंजोरी	201	0.380	0.053	0.053			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
48.	बिसौहा, बिसम्भर पिता सीताराम वगैरह	202	0.413	0.040	0.040			
	गोंड.	951	0.360	0.016	0.016			
49.	सातो लखनी पिता रूपसिंग वगैरह गोंड	205	0.829	0.182	0.182			
		247	0.097	0.065		0.065		
50.	भगतराम पिता रतनसिंग राउत	206/1	0.405	0.219		0.219		
51.	गंगाराम सोनसिंग पिता षिवसिंग वगैरह मरार.	207	0.761	0.304		0.304		
52.	ईष्वर पिता कुंजराम कुर्मी वगैरह	209/1	0.326	0.326		0.326		
		248	0.563	0.121		0.121		
		749	0.534	0.024	0.024			
		1104/1	3.565	0.065	0.065			
53.	मिलद मोतिया नरबदिया मोतिम पिता	210	1.283	0.012	0.012			
	दयाराम पुरनिया बेवा दयाराम तेली.	213/1	0.283	0.081		0.081		
54.	रामवती पिता जुलाराम कुर्मी	1171	0.061	0.036	0.036			
55.	फगनी रामकुंवर पिता हजारी वगैरह	236	0.542	0.053	0.053			
56.	चौपाबाई पिता चिंताराम गोंड	237	0.231	0.065		0.065		
		39	0.466	0.020		0.020		
57.	चमारिन पति बिसनाथ गोंड	243	0.138	0.012		0.012		
58.	जीतराम पिता झेंगवा ठेठवार	244/1	0.194	0.040		0.040		
59.	टीकाराम पिता चोवाराम ठेठवार	962/1	0.275	0.061		0.061		
60.	तिलकराम नंदराम टिकइत पिता	244/2	0.194	0.053		0.053		
	चोवाराम ठेठवार.	962/2	0.980	0.008	0.008			
61.	जोगीराम पिता लरहू तेली	245	0.409	0.109		0.109		
62.	निरसिंग पिता धुरउ वगैरह	255	0.809	0.304		0.304		
63.	फटिकन पिता धरमसिंग गोंड	256	0.247	0.109		0.109		
64.	प्रेमसिंग रामसिंग पिता गोपाल गोंड	257	0.967	0.061		0.061		
65.	रामलाल पिता बिसेसर मरार	748/2	0.498	0.158		0.158		
66.	रामलाल रामसहाय पिता षिवचरण कुर्मी	952	0.644	0.121	0.121			
67.	मंगल पिता बुधराम गोंड	953	0.725	0.073	0.073			
68.	राधेष्याम पिता श्यामरतन वगैरह तेली	958	0.898	0.206	0.206			
69.	राजकुमार पिता सोनसिंग मरार	1016/1	0.412	0.081	0.081			
70.	कुलवंतीन पिता भगती मरार	1110/4	0.544	0.134	0.134			
71.	सुनहर पिता घुरउ मरार	1017/2	0.364	0.053	0.053			
72.	मनोहर पिता बहोरन वगैरह	1021	0.328	0.016		0.016		
73.	सधारु रामकुमार पिता सोनसिंग मरार	1104/2	0.227	0.020	0.020			
74.	भगवंतिन पिता बरन तेली	1105/2	0.504	0.101	0.101			
75.	धनीराम पिता रूपराय गोंड	1107	0.405	0.113	0.113			
76.	हिंसाराम पिता सालिकराम मरार	1169	0.461	0.069	0.069			
		1173	0.437	0.057	0.057			
77.	मालिकराम पिता साखराम गोंड	1172	0.462	0.008	0.008			
78.	गुनीत पिता नंदलाल तेली	1189/1	0.292	0.101	0.101			
79.	मिलउ मोतिया पिता दयाराम तेली	1190	1.149	0.162	0.162			
80.	रामसहाय पिता षिवचरण कुर्मी	35/2	0.170	0.028		0.028		
81.	जामबाई पिता जुलाराम कुर्मी	1170	0.162	0.066	0.066			
	योग	**121**	**65.065**	**11.208**	**3.238**	**7.970**		

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 5 अक्टूबर 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 15/अ-82/2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-करतला
- (ग) नगर/ग्राम-जोगीपाली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.65 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
240/2, 252/2	0.10
253/1, 254/1	0.70
251	0.58
252/1	0.34
265	0.32
266	0.28
270	0.14
271/1	0.07
272/2	0.26
309, 310/2, 312/4, 314/3, 315/1	0.60
315/2, 316/1, 324/2	0.26
योग	3.65

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- रामपुर जोगीपाली मदवानी मार्ग प्रयोजन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कांकेर, दिनांक 24 सितम्बर 2009

क्रमांक/194/कले/भू-अर्जन/2009.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर
- (ख) तहसील-भानुप्रतापपुर
- (ग) नगर/ग्राम-चौगेल
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.15 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
495/1	1.91
495/2	1.04
496	0.76
497	0.44
योग	4.15

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण- नक्सली पीड़ित परिवारों के पुनर्वास हेतु आवास गृह निर्माण करने बाबत्.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, भानुप्रतापपुर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर के न्यायालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अविनाश चम्पावत, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दन्तेवाड़ा, दिनांक 25 सितम्बर 2009

क्रमांक/3482/भू-अर्जन/05/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
   (क) जिला-दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा
   (ख) तहसील-कटेकल्याण
   (ग) नगर/ग्राम-परचेली, प. ह. नं. 4
   (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.51 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	4	0.93
	13	0.16
	15	0.05
	20	0.19
	21	0.23
	134	0.19
	136	0.24
	139	0.32
	10	0.20
योग		2.51

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम जिसके लिये भूमि की आवश्यकता हैं-कटेकल्याण जलाशय के बांध/डुबान एवं शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दन्तेवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रीना कंगाले, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 29 सितम्बर 2009

क्रमांक 7686/भू-अर्जन/2009.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
   (क) जिला-राजनांदगांव
   (ख) तहसील-राजनांदगांव
   (ग) नगर/ग्राम-मनगटा, प. ह. नं. 16
   (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.491 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	31/1	0.303
	31/2	1.019
	48/2	0.169
योग	3	1.491

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बोरई डायवर्जन के अंतर्गत डूबान एवं बांध पार हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, जिला कार्यालय, राजनांदगांव में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 29 सितम्बर 2009

क्रमांक 7687/भू-अर्जन/2009.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-राजनांदगांव
- (ग) नगर/ग्राम-सिंघोला, प. ह. नं. 41/25
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.154 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	35/9	0.073
	35/5	0.081
योग	2	0.154

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- शिवनाथ व्यपवर्तन के शाखा नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, जिला कार्यालय, राजनांदगांव में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 29 सितम्बर 2009

क्रमांक 7688/भू-अर्जन/2009.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-खैरागढ़
- (ग) नगर/ग्राम-जुनवानी, प. ह. नं. 29
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.52 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	128	0.04
	131/2	0.07
	131/3	0.07
	132/3	0.10
	132/4	0.20
	616/5	0.04
योग	6	0.52

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-आमनेर मोती-नाला डायवर्सन के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 29 सितम्बर 2009

क्रमांक 7689/भू-अर्जन/2009.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-छुईखदान
- (ग) नगर/ग्राम-झुरानदी, प. ह. नं. 20
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-9.10 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
121/1	0.20
147	0.45
149/1	0.13
149/2	0.10
155	0.27
1160	0.02
1159	0.03
1158/2	0.02
162	0.22
163/4	0.18

(1)	(2)
163/1	0.10
163/2	0.06
131/1	0.15
163/3	0.04
191/1	0.06
194/1	0.03
191/3	0.15
191/2	0.04
146	0.08
191/4	0.02
194/2	0.03
202	0.03
203	0.03
190	0.06
189	0.03
191/5	0.04
193/1	0.02
204	0.02
1140	0.11
225	0.06
223	0.05
256	0.04
252/1	0.16
218	0.12
224/1	0.05
247/4	0.02
229	0.01
224/2	0.04
222	0.04
254	0.06
251	0.04
219/1	0.09
111/1	0.33
221/1	0.04
252/2	0.16
221/4	0.05
257	0.04
704	0.08
703	0.10
702	0.02
610	0.07
617/4	0.18
543/2	0.02
617/3	0.15
618/2	0.05
630	0.02
631	0.10
632	0.11
635	0.08
637	0.15
636	0.02
543/1	0.02
642	0.14
1162	0.05
1164	0.05
1163	0.05
643	0.23
648	0.10
640	0.28
644/2	0.03
641	0.14
645	0.15
1145	0.14
1141	0.14
1213	0.02
149/3	0.15
1214/1	0.04
1139/7	0.10
1139/10	0.11
1139/11	0.12
1139/8	0.15
1139/6	0.10
1128/1	0.30
221/3	0.05
1273/2	0.12
1274	0.03
1273/3	0.18
1121/1	0.11
1292/1	0.21
1121/3	0.11
1276/2	0.11
1276/14	0.03
1292/2	0.23
1128/3	0.04
योग 94	9.10

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-भेडरा जलाशय के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रोहित यादव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 11 सितम्बर 2009

क्रमांक/अ.वि.अ./भू-अर्जन/प्र.क्र. 06 अ/82 वर्ष 2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायपुर

(ख) तहसील-पलारी

(ग) नगर/ग्राम-रोहासी, प. ह. नं. 30

(घ) लगभग क्षेत्रफल-18.140 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
87/2	0.202
131	0.435
243/1	0.101
243/2	0.506
267/2	0.085
156/2	0.06
84/2	0.223
86/3	0.202
200/1	0.004
261/1	0.081
63	0.202
152	0.622
231/2	0.101
88	0.004
258/7	0.262
251	0.606
134	0.636
136/1	0.042
70/2	0.382
198/2	0.004
198/1	0.089
230/2	0.080
262/2	0.135
264/2	0.193
124/5	0.133
124/7	0.303
129/4	0.080
129/1	0.202
233/1	0.105
233/5	0.101
232/2	0.233
74	0.101
124/3	0.382
124/6	0.272
189/2	0.101
70/4	0.970
244/1, 245/1	0.024
73/5	0.430
64/2	0.230
135/2	0.232
64/1	0.101
130/4	0.017
183/4	0.113
195/2, 195/3	0.202
199/2	0.210
195/1	0.073
188/2	0.283
195/4	0.040
75	0.540
84/1	0.180
73/1, 73/7	0.262
129/6	0.048
129/7	0.200
84/3	0.243
258/13	0.202
124/4	0.267
129/3	0.06
199/3	0.093
126/2	0.032
126/3	0.024
156/1	0.223
199/1	0.122
231/1	0.240
198/3	0.060
87/4	0.202
133/1	0.202
133/2	0.303
124/9	0.182

(1)	(2)
129/2	0.060
159	0.084
232/4	0.012
260/1	0.202
130/5	0.070
76/2	0.092
86/4	0.101
258/3	0.212
258/6	0.303
86/1	0.505
232/3	0.121
130/3	0.205
230/1	0.025
264/1	0.121
265/1	0.060
262/1	0.136
85	0.048
243/3	0.222
183/3	0.024
264/3	0.193
70/3	0.081
258/8	0.008
267/1	0.212
266	0.090
260/2, 260/3	0.303
232/1	0.081
183/2	0.080
267/3	0.075
234/1	0.012
258/5	0.086
189/1	0.180
188/1	0.110
258/4	0.146
योग 72	18.140

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- राजीव समोदा निसदा व्यपवर्तन योजना द्वितीय चरण के अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बलौदाबाजार के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 15 सितम्बर 2009

क्रमांक क/भू-अर्जन/09-अ/82 वर्ष 2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-भाटापारा
- (ग) नगर/ग्राम-बिटकुली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.782 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
704/2	0.016
711/2	0.110
706	0.073
726	0.121
707	0.219
708	0.008
709	0.101
710/1	0.214
710/2	0.154
711/1	0.080
711/3	0.020
712	0.057
714/8	0.028
716/1	0.117
376/1	0.741
717	0.146
718/1	0.152
724/3	0.312
718/2	0.048
724/2	0.180
724/4	0.010
720	0.113
721/2	0.146
723	0.186
722	0.016

(1)	(2)
725/1	0.274
725/2	0.202
740/2	0.142
390/2	0.664
390/3	0.190
386	0.275
387	0.109
385	0.291
384	0.093
380	0.174
योग 35	5.782

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- लालपुर उपनहर एवं खपरी उपनहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, भाटापारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 15 सितम्बर 2009

भू-अर्जन प्र. क्र. 37/अ 82 वर्ष 2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-बिलाईगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-गिरवानी, प. ह. नं. 13
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.682 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
378	0.036
380/4	0.032
391/1	0.012
381	0.022
391/2	0.033
423/2	0.020
393	0.012
808/4	0.028
798/1	0.020
812/6	0.081
407	0.032
396/1	0.056
396/2	0.018
824	0.012
825/1	0.008
823/2	0.004
823/1	0.004
954/11	0.004
954/8	0.008
808/5	0.044
406	0.016
808/6	0.049
422	0.008
379/1	0.016
380/8	0.020
382/1	0.044
394	0.043
योग 27	0.682

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- जोंक मुख्य नहर शाखा क्रमांक 21 निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 23 सितम्बर 2009

क्रमांक क/भू-अर्जन/12-अ/82 वर्ष 07-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-भाटापारा
- (ग) नगर/ग्राम-भरतपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.322 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
694	0.008
693/1	0.081
692/2	0.210
635/1	0.020
634/1	0.061
633	0.065
631	0.219
505	0.004
507	0.089
508	0.008
48/1	0.045
510/1	0.032
48/4	0.113
510/2	0.065
509	0.028
53	0.065
516	0.061
95	0.053
517	0.004
521	0.287
44	0.105
186	0.065
59/1	0.069
59/2	0.077
90	0.004
189	0.085
188	0.040
194	0.049
195	0.053
94	0.073
64/1	0.121
92/2	0.004
91/2	0.085
91/1	0.053
86	0.077
85	0.061
84	0.081
63/2	0.024
64/2	0.032
65	0.040
54/1	0.077
52/2	0.028
54/2, 52/1	0.004
46	0.129
45	0.121
302	0.028
303	0.150
51	0.069
योग 49	3.322

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- खपरी उपनहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, भाटापारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गर्ग, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कोरिया, दिनांक 18 सितम्बर 2009

रा. प्र. क्र.-06/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरिया
- (ख) तहसील-बैकुण्ठपुर
- (ग) नगर/ग्राम-मोदीपारा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.00 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	363	1.00
योग	1	1.00

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- मोदीपारा जलाशय के डूबान क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आलोक अवस्थी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 6 अक्टूबर 2009

क्र. 1933/खनि/2009.—छ. ग. गौण खनिज नियम 1996 के नियम 12 के तहत सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जिला बिलासपुर (छ. ग.) में नीचे दी गई तालिका में वर्णित क्षेत्र का इस विज्ञप्ति में छ. ग. राजपत्र में प्रकाशित होने के तीस दिवस के पश्चात् खनिज रियायत हेतु क्षेत्र उपलब्ध होंगे.

जिला	तहसील	ग्राम	ख. नं.	रकबा	खनिज	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
बिलासपुर	मुंगेली	चौरहा बुंदेली	106/1, 106/2, 110/4	2.34 एकड़	चूनापत्थर	निजी

सोनमणि बोरा,
कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला महासमुंद (छ. ग.)

महासमुंद, दिनांक 30 सितम्बर 2009

क्रमांक/2624/क/खनिज/2009.—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि गौण खनिज नियमावली 1996 के नियम 12 के तहत महासमुन्द जिला स्थित सूची में दर्शायेनुसार क्षेत्र चूनापत्थर खनिज के उत्खनिपट्टा हेतु राजपत्र में प्रकाशित दिनांक से 30 दिवस के पश्चात उत्खनिपट्टा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के लिए उपलब्ध रहेगा.

स. क्र.	ग्राम का नाम	प. ह. नं.	खनिज	तहसील	खसरा नंबर	रकबा	अन्य विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01	घोडारी	87	चूनापत्थर	महासमुंद	10	1.28 हे.	स्वीकृत अवधि समाप्त होने के कारण खुला घोषित किया जा रहा है.

निहारिका बारिक सिंह,
कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 सितम्बर 2009

क्रमांक/1339/रीडर/न.भू.सी./2009.—संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधक विभाग, रायपुर के पत्र क्रमांक F-6-62/2008/सात-3 रायपुर दिनांक 02-09-2009 में दिये गये निर्देशानुसार नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) निरसन अधिनियम, 1999 की धारा 3 एवं 4 के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कर्तव्यों के निर्वहन के लिए श्री रमेश शर्मा, अतिरिक्त कलेक्टर, रायपुर को अधिकृत किया जाता है.

संजय गर्ग,
कलेक्टर.